अनुसूची–14 फारम सं0 563

W.C. Website Upload

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3
29.11.12	**न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया** **वाद सं0–RM- 63/2011–12** **निर्मला देवी बनाम बिहार सरकार एवं अन्य** **आदेश** यह अपील वाद निर्मला देवी, पति प्रभुनाथ कुशवाहा, साकिन दहवा, पो0 तौलाहा, पंचायत खोतहवा, प्रखंड मधुबनी, बाल विकास परियोजना, मधुबनी–पिपरासी के आंगनबाड़ी केन्द्र संख्या 58 की आंगनबाड़ी सेविका के पद से जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के पत्रांक 123/प्र/आई0सी0डी0एस0, दिनांक 14.11.2011 द्वारा पारित आदेश, जिसके द्वारा उनका चयन रद्द किया गया है, के विरूद्ध दायर किया गया है। अपीलार्थी का कथन है कि उनको आंगनबाड़ी केन्द्र संख्या 58, बाल विकास परियोजना कार्यालय, मधुबनी–पिपरासी के सेविका के पद से बिना स्पष्टीकरण पूछे, बिना तथ्यों का अध्ययन किए एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के द्वारा उनको सेविका के पद से चयन मुक्त कर दिया गया है। अपीलार्थी द्वारा दायर किए गए अपील वाद के आलोक में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मधुबनी–पिपरासी से अभिलेख/पंजी की मांग की गयी। अपीलार्थी निर्मला देवी द्वारा उपलब्ध कराये गये साक्ष्य एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मधुबनी–पिपरासी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख/पंजी का अध्ययन किया एवं दोनों को सुना। सुनवाई के क्रम में यह स्पष्ट स्पष्ट हुआ कि अपीलार्थी निर्मला देवी, पति प्रभुनाथ कुशवाहा, साकिन दहवा, पो0 तौलाहा, पंचायत खोतहवा, प्रखंड मधुबनी, बाल विकास परियोजना, मधुबनी–पिपरासी के आंगनबाड़ी केन्द्र संख्या 58 की आंगनबाड़ी सेविका को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया। उनके तथ्यों पर विचार नहीं किया गया। अतः अभिलेख/पंजी सभी साक्ष्यों सहित जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण को वापस करते हुए आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा दिए गए साक्ष्य, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मधुबनी–पिपरासी द्वारा उपलब्ध कराये गये पंजी/अभिलेख का अध्ययन कर अपीलार्थी एवं बाल	

अनुसूची–14 फारम सं0 563

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3
	विकास परियोजना पदाधिकारी, मधुबनी–पिपरासी को सुनकर स्पष्ट रूप से स्पीकिंग आदेश पारित करेंगे। जब तक सुनवाई पूर्ण नहीं हो जाती है तब तक जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के पत्रांक 123/प्र/आई0सी0डी0एस0, दिनांक 14.11.2011 द्वारा निर्गत चयन मुक्ति आदेश को स्थगित किया जाता है। आदेश की प्रति जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बेतिया एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मधुबनी–पिपरासी को अनुपालन हेतु भेजें। ह0/- जिला दण्डाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया ह0/- जिला दण्डाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया	